न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 06/2021

प्रार्थी

1. श्री लाखाराम पुत्र श्री पन्नाजी जाति रेबारी निवासी गोलिया कारोली तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
2. श्री नेमाराम पुत्र श्री पन्नाजी जाति रेबारी निवासी गोलिया कारोली तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. श्री लालसिंह पुत्र श्री सोहनसिंह के कायम मुकामः–
   - 1.1 श्रीमती जरावी देवी पत्नि स्व. श्री लालसिंह जाति राव निवासी कारोली तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
   - 1.2 श्री शैतानसिंह पुत्र स्व. श्री लालसिंह जाति राव निवासी कारोली तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
   - 1.3 श्री श्रवणसिंह पुत्र स्व. श्री लालसिंह जाति राव निवासी कारोली तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
   - 1.4 श्री सोहनसिंह पुत्र स्व. श्री लालसिंह जाति राव निवासी कारोली तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
   - 1.5 सुश्री कंचन कुंवर पुत्री स्व. श्री लालसिंह जाति राव निवासी कारोली तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
   - 1.6 सुश्री गुडवंती पुत्री स्व. श्री लालसिंह जाति राव निवासी कारोली तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
   - 1.7 सुश्री शारदा पुत्री स्व. श्री लालसिंह जाति राव निवासी कारोली तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
2. सरपंच ग्राम पंचायत आमथला तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
3. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत आमथला तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थितिः–

1. श्री राजेन्द्र पुरी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री अशोक पुरोहित, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1.1 से 1.7 की ओर से ।

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:09:43 IST
Reason: SelfAttested

दिनांकः 10.01.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत, आमथला द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में जारी किया गया पट्टा संख्या [illegible] दिनांक 29.02.1988 मिसल संख्या 221 दिनांक 16.08.1984 वर्गफीट 253 को निरस्त कराने हेतु इस बिनाय पर प्रस्तुत किया कि उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम

जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

1961 के नियम 257, 258, 259, 260 की पालना किये बिना नियम 266 के तहत जारी किया गया है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या एक के कायम क्रमशः 1.1 से 1.7 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक पुरोहित ने जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या दो व तीन के ओर से किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई। प्रकरण मे दोनो पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई ।

प्रार्थी की ओर से दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या एक को पडत सार्वजनिक रास्ते भूमि का नियमो के विपरित पट्टा जारी किया है। पंचायत के अभिलेख मे भूमि के विक्रय के संबंध मे मिसल संख्या 221 दिनांक 16.08.1984 दर्ज है-तथा पट्टे मे भी मिसल संख्या व तारीख दायर दर्ज है। आपत्ति नोटिस निगरानी के साथ पेश नहीं किया गया है। यह है कि उक्त विवादित पट्टा तत्कालीन पंचायत द्वारा सामान्य नियम 1961 के नियमों की पूर्णतया अनदेखी कर एवं अनियमितता कर जारी किया गया है। नियम 266 घ के तहत केवल मात्र पुश्तैनी कब्जाशुदा मकानों के ही पट्टे जारी किए जाते है, जबकि पंचायत द्वारा सार्वजनिक रास्ते भूमि का पट्टा अप्रार्थी संख्या एक के हक में जारी किया गया है, जो गलत है। यह है कि ग्राम पंचायत आमथला द्वारा पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम 251 के तहत पट्टा जारी होने से पूर्व स्थल का कोई नक्शा तैयार नहीं किया गया है एवं न ही नियम 258 के तहत तीन पंचों की मौका निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की है। यह है कि उक्त विवादित स्थल पर अप्रार्थी संख्या एक का कभी भी पुराना कब्जा नहीं रहा है एवं न ही वर्तमान में अप्रार्थी संख्या एक का प्रश्नगत भूमि कब्जा है। ग्राम पंचायत द्वारा नियम 260 के तहत एक माह का आपत्ति नोटिस जारी नहीं किया है, जिससे प्रार्थी एवं प्रश्नगत भूमि के अडौसी–पडौसी एवं गांव के अन्य लोगों को प्रश्नगत पट्टा जारी होने की जानकारी नहीं हुई, जिससे प्रार्थी एवं अन्य व्यक्ति प्रश्नगत पट्टे के सम्बन्ध में आपत्ति प्रस्तुत करने से वंचित रहे। यह है कि प्रार्थी के पिता श्री पन्ना पुत्र श्री भूराजी जाति रेबारी के नाम से एक आवासीय मकान का पट्टा विलेख संख्या 15 मिसल संख्या 198 दिनांक 16.08.1984 को ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 4 पारित कर ग्राम पंचायत द्वारा उक्त आबादी शुदा मकान का पट्टा 121×83=10043 एवं 50×50=2500 वर्गफीट कुल 12543 वर्गफीट का पट्टा जारी किया गया, जिसमें जारी किया गया, जिसके पश्चिम दिशा में 13 फीट रास्ता व दरवाजा अंकित है। यह है कि उक्त पट्टे की भूमि में से 50×50=2500 वर्गफीट भूमि अन्य व्यक्तियों को बेचान करने के बाद प्रार्थी के पास कुल 10043 वर्गफीट भूमि है, जिस पर काबिज होकर आवासीय मकान में निवासरत है। यह है कि उक्त पट्टे की पश्चिम दिशा की ओर 13 फीट चौडाई में करीब 45 फीट रास्ता है, जो प्रार्थी के आवागमन हेतु एक मात्र रास्ता है। उक्त रास्ते के पूर्व दिशा की ओर श्री मगनसिंह का आवासीय भूखण्ड है एवं पश्चिम दिशा की ओर श्री लक्ष्मणसिंह का भूखण्ड आया हुआ है। प्रार्थी के पिता को उक्त पट्टा दिनांक 16.08.1984 को जारी होने के बाद श्री मगनसिंह पुत्र श्री हिन्दुजी राव को पट्टा संख्या 08 वर्ष 1986 को जारी किया गया था, जिसमें भी पश्चिम दिशा में 12 फीट गली छोडकर आबादी पडत भूमि होना दर्शाया है, जो 12 फीट गली पट्टे में कांछ–छांट करके 5 फीट होना बताया है, जबकि ग्राम पंचायत [illegible] छोडकर आबादी पडत भूमि होना दर्शाया गया है। इसके उपरान्त ग्राम [illegible]मथला द्वारा श्री लक्ष्मणसिंह पुत्र श्री भूरसिंह को पट्टा संख्या [illegible] पुत्र श्री सोहनसिंह को पट्टा संख्या 10 दिनांक [illegible] लक्ष्मणसिंह के पट्टे के उत्तर दिशा में श्री लालसिंह [illegible] है, जबकि उत्तर दिशा की ओर 13 फीट की गली आई हुई है एवं उसके आगे श्री [illegible]नसिंह का मकान आया हुआ है। यह है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त गली को सम्मिलित करते हुए श्री लालसिंह को कुल 253

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:09:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

वर्गफीट का पट्टा विलेख जारी किया है, जो खारिज किए जाने योग्य है। यह है कि श्री मगनसिंह व श्री लक्ष्मणसिंह के भूखण्डों की चतुर्दशी देखने पर यह स्पष्टतया जाहिर होता है कि श्री मगनसिंह के पास 12 फीट भूमि छोडकर गली की भूमि आई हुई है एवं उक्त गली को छोडकर श्री लक्ष्मणसिंह को पट्टा संख्या 01 जारी किया गया है। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक के मौके पर कोई भूमि नहीं होते हुए भी एवं रास्ता एवं श्री मगनसिंह की भूमि को सम्मिलित करके श्री मगनसिंह द्वारा जबरदस्ती निर्माण कार्य करने पर एक दीवानी वाद सिविल न्यायाधीश आबूपर्वत न्यायालय में पेश किया, जिसके विरूद्ध श्री मगनसिंह द्वारा अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें लालसिंह के पट्टे को गलत मानते हुए अपील स्वीकार कर श्री मगनसिंह का भूखण्ड होना मानते हुए श्री लालसिंह के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर ग्राम पंचायत आमथला द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में जारी पट्टा संख्या 10 दिनांक 29.02.1988 को निरस्त करना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या एक के वारिसानों की ओर से उनके लायक अधिवक्ता श्री अशोक पुरोहित द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या एक को नियम 266 के तहत 258 रूपये लेकर पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। इस संबंध मे उन्होंने दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या–दो द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 257, 258, 259 एवं 260 के तहत कार्यवाही कर ही पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या–एक द्वारा इस संबंध मे कोई अनियमितता पट्टा प्राप्त करते समय नही की गई है विवादित भूमि सार्वजनिक गली की भूमि नही है अतः पट्टा जारी करने मे राजस्थान पंचायती राज विभाग, राज.जयपुर के दिशा निर्देशों की पालना की गई है। अनियमितता करने के कथन सर्वथा गलत है। यह है कि उक्त विवादित भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या एक का पुराना कब्जा था एवं उसी के आधार पर नियम 266 के तहत पट्टा जारी किया किया गया है। यह है कि उक्त विवाग्रस्त पट्टे के विरूद्ध इसी विषयवस्तु को लेकर एक पंचायत निगरानी संख्या 03/2007 न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही द्वारा दिनांक 26.02.2008 को निर्णित की गई है, जिसमें साक्ष्य, जवाब व सुनवाई की जाकर उक्त पट्टे का यथावत कायम रखा गया है। प्रार्थीगण द्वारा इसी विषयवस्तु को लेकर नए सर इसी न्यायालय में निगरानी आवेदन पेश किया है, विधि अनुसार परिपोषणीय नहीं होने से काबिल खारिज के योग्य है। प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 पूर्व न्याय का सिद्धान्त द्वारा बाधित होने से चलने योग्य नहीं है। यह है कि इसी निगरानी आवेदन की विषयवस्तु को लेकर प्रार्थीगण श्री लाखाराम व श्री नेनाराम द्वारा सिविल न्यायाधीश आबूरोड में एक दीवानी वाद संख्या 39/2007 अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया, जो वाद सुनवाई पक्षकारान दिनांक 21.03.2018 को अस्वीकार कर खारिज किया गया था। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना खारिज किया जाना फरमावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी संख्या एक की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभॉति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

अप्रार्थी संख्या एक को उक्त पट्टा ग्राम पंचायत, आमथला द्वारा 258 रूपये शुल्क लेकर जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के अनुसार पंचायत आबादी भूमि में भूखण्ड आवंटन हेतु व्यक्तियों का आबादी भूमि पर कब्जा 20 वर्ष अथवा अधिक परन्तु 40 वर्ष से कम का है वहां विद्यमान बाजार कीमत का 1/3 भाग और जहां कब्जा 40 वर्ष से अधिक का है वहां विद्यमान बाजार दर का छठा भाग प्रभारित किया जायेगा ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:09:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

न्यायालय पत्रावली का गंभीरता पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि ग्राम पंचायत आमथला द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के तहत अप्रार्थी संख्या एक श्री लालसिंह पुत्र श्री सोहनसिंह जाति राव के पक्ष में पट्टा संख्या 10 दिनांक 29.02.1988 क्षेत्रफल 253 वर्गफीट को निरस्त कराने हेतु प्रार्थी श्री मगनसिंह पुत्र श्री हिन्दुजी जाति राव निवासी गोलिया द्वारा पूर्व में इस न्यायालय में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम की धारा 97 के तहत निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जो इस न्यायालय में पंचायत निगरानी संख्या 03/2007 पर दर्ज रजिस्टर होकर वाद सुनवाई पक्षकारान इस न्यायालय द्वारा दिनांक 26.02.2008 को पारित निर्णय अनुसार खारिज किया गया था। तत्पश्चात प्रार्थीगण श्री लाखाराम व श्री नैनाराम द्वारा अप्रार्थी श्री लालसिंह को जारी उक्त पट्टा संख्या 10 दिनांक 29.02.1988 क्षेत्रफल 253 वर्गफीट को निरस्त कराने हेतु पुनः यह निगरानी प्रार्थना पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया है।

इस प्रकरण में मुख्यतः विचारणीय बिन्दु यह है कि धारा 11 दीवानी प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत इस निगरानी प्रार्थना पत्र पर पूर्व न्याय का सिद्धान्त (Res Judicata) लागू होता है अथवा नहीं? इस संबंध में न्यायालय पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि प्रार्थीगण श्री लाखाराम व श्री नैनाराम द्वारा अप्रार्थी श्री लालसिंह को ग्राम पंचायत आमथला द्वारा जारी पट्टा संख्या 10 दिनांक 29.02.1988 के विरूद्ध जिन तथ्यों के आधार पर यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उन्हीं तथ्यों के आधार पर पूर्व में श्री मगनसिंह पुत्र श्री हिन्दुजी जाति राव निवासी गोलिया द्वारा उक्त पट्टा संख्या 10 दिनांक 29.02.1988 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रार्थना पत्र (पंचायत निगरानी संख्या क्रमशः 03/2007) प्रस्तुत किया था, जिस पर इस न्यायालय द्वारा वाद सुनवाई पक्षकारान प्रश्नगत पट्टा संख्या 10 दिनांक 29.02.1988 के संबन्ध में गुणावगुण पर परीक्षण कर दिनांक 26.02.2008 को निर्णय पारित किया जा चुका है।

चूंकि प्रश्नगत पट्टा संख्या 10 दिनांक 29.02.1988 की विषय वस्तु पर गुणावगुण के आधार पर परीक्षण कर पूर्व में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 26.02.2008 को निर्णय पारित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में धारा 11 दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत "पूर्व न्याय का सिद्धान्त (Res Judicata) " लागू होने से यह निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:09:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner